NH Debate - 20

आरक्षण का आधार क्या हो?

समाज में रोजगार व् शिक्षा में आरक्षण व्यक्तिगत व् सामाजिक विकास के लिए उपलब्ध पारिवारिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर होना चाहिए:

समाज में रोजगार व् शिक्षा आरक्षण ना ही तो जाति के आधार पर होना चाहिए और ना ही आर्थिक आधार पर, बल्कि यह होना चाहिए इंसान को व्यक्तिगत विकास के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों व् सामाजिक विकास के लिए उपलब्ध पारिवारिक संसाधनों के आधार पर।

व्यक्तिगत विकास के संसाधन जैसे कि दिल्ली या किसी भी बड़े शहर के एक पब्लिक स्कूल में पढने वाले छात्र के पास सर्वोच्च स्तर के अध्यापक, सर्वोच्च स्तर के क्लास-रूम, सर्वोच्च स्तर की स्कूल से घर आने-जाने के लिए सड़क व् परिवहन के साधन से ले तमाम ऐसी सुविधाएँ जो उसको विद्यार्थी जीवन में वहाँ मिलती हैं, होती हैं जबकि एक गाँव में पढने वाले या गाँव से शहर पढने आने वाले छात्र को ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती। उदहारण के तौर पर हरियाणा रोडवेज की जिला मुख्यालयों से गावों को जाने वाली बसों में छात्र कैसे सफ़र करते हैं यह सबको विदित होगा और ऐसे ही देश के हर ऐसे छात्र के घर से स्कूल तक के सफ़र की कहानी होती है। तो असली आरक्षण का पैमाना तो यह होना चाहिए कि इन दो बिलकुल भिन्न परिवेशों में पढ़े विद्यार्थियों में कौन आरक्षण का अधिकारी है।

दूसरा सामाजिक विकास के संसाधनों जैसे कि बच्चे के परिवार का शैक्षिक स्तर क्या है, बच्चे का खानदानी पेशा क्या है, उसका वह खानदानी पेशा उसकी पढाई के क्षेत्र से कितना मेल खाता है| मेल जैसे कि एक व्यापारी का बेटा अगर अर्थशास्त्र की पढाई पढ़ा रहा है तो लाजमी है वह एक किसान या मजदूर परिवार के परिवेश के बच्चे से बेहतर अंक अर्जन का प्रदर्शन करे, इसके पूरे नियाम-आयाम होते हैं ; क्योंकि वह बचपन से खाली वक्त में पिता के साथ दुकान या व्यापार में बैठ अर्थशास्त्र ही तो सीखता है, जबकि वहीँ एक किसान या मजदूर का बेटा खेतों में पिता के साथ वह काम कर रहा होता है जिसका उसकी पढाई से कोई मेल नहीं होता। मतलब वह बच्चा अर्थशास्त्र की पढाई के लिए दुगुनी मेहनत करता है, यानी उसका स्कूल का माहौल अलग और घर का अलग जबकि एक व्यापारी के बच्चे को वही माहौल स्कूल में मिलता है और वही घर में। इसलिए जब बच्चों के अंक जोड़े जाएँ तो उसमें यह भी देखा जाए कि एक बच्चा एक ही माहौल में रह के अंक लाता है तो दूसरा दो भिन्न

प्रकार के माहोलों में तालमेल बिठाते हुए वो अंक अर्जित करता है तो स्वत: वह बच्चा पहले वाले से कहीं ज्यादा सक्षम और अद्वितीय है।

ऐसे ही एक पहले से नौकरी-पेशा घर का बच्चा (वो चाहे गाँव में रहता हो या शहर में) उसको एक मजदूर-किसान के पेशे वाले परिवार से आने वाले बच्चे से ज्यादा शारीरिक व् मानसिक सुख-चैन की सुविधाएं बचपन से उपलब्ध होती है तो लाजमी है कि इन दो भिन्न परिवेशों के दो बच्चे अगर बराबर अंक अर्जित कर रहे हैं तो मजदूर-किसान के परिवेश वाला नौकरी-पेश के बच्चे से ज्यादा सक्षम भी है और मेहनती भी क्योंकि वो उन सुविधाओं के अभाव में यह अंक अर्जित करता है जो कि एक नौकरी-पेशा के बच्चे को मिलती हैं|

इसलिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण देना है तो उसका आधार ना ही तो जाति हो और ना ही आर्थिक स्थिति अपितु पात्र की व्यक्तिगत व् सामाजिक विकास से सम्बन्धित संसाधनों की उपलब्धता हो|

Phool Kumar Malik

Nidana Heights

21/08/2013